तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज
	स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था किन्तु दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य कर लिया है इसलिये वादी इस वाद को नहीं चलाना चाहता है इस वाद को खारिज करवाकर नया वाद अन्तर्गत धारा 183 R.T.A. का पेश करना चाहता है वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है वादी नया वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र है। अभिभाषक द्वारा वादी की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र के आधार पर इस प्रकरण को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।
	निर्णय आज दिनांक 4-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	उप खण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:33:10 IST
Reason: SelfAttested